न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 62 / 2021 दायरा दिनांक : 14.06.2021

उनवान

सोहेल गौरी आत्मज श्री महबूब खां, जाति मुसलमान, निवासी डग, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— चन्दर आत्मज सेवा, जाति मेहर

2— उदा आत्मज श्री सेवा, जाति मेहर,

3— अन्दर लाल आत्मज सेवा, जाति मेहर,

4— भंवर लाल आत्मज सेवा, जाति मेहर,

5— नारायण लाल आत्मज रतनलाल, जाति मेहर

6— मुकेश आत्मज नाथू, जाति मेहर

अकवाम निवासीगण नयाखेड़ा, तहसील डग, जिला झालावाड़

7— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डग जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3, 5 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.09.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 00008/प्रार्थना पत्र/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.टी.एक्ट के तहत पेश कर वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2166 रकबा 0.01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2147 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, तथा खसरा नम्बर 2148 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम डग स्थित है। खसरा नम्बर 2166 कई वर्षों से चाह कुआ खुदा हुआ है, कोई रास्ता मौजूद नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण जबरन वादी के कब्जे काश्त की आराजी में मदाखलत मजाहमत पैदा करना चाहते हैं। इसका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण का अन्य खसरा नम्बर में होकर रास्ता मौजूद है। इसलिए वादी ने वाद पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट वादी का वाद पूर्ण रूप से डिक्री नहीं कर वाद आंशिक डिक्री कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की हैं। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय के विपरीत है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खाते एवं कब्जे की थी जिसके मामले में रेस्पोडेंट

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

को कोई दखलअन्दाजी करने का अधिकार नहीं था और न ही कोई नया रास्ता कायम करने का अधिकार था । अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के ऊपर उचित गौर न कर व साक्ष्य वगैरह का अवसर दिये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की आराजी के सम्बन्ध में अन्य आराजी के मामले में रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट उदा, चन्दर, अन्दर लाल, नारायण लाल व रमेश ने रास्ते के मामले में धारा 251 ए के तहत अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश कर रखा था जिसका नम्बर 48/2018 है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 8/2016 में रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र 48/2018 कन्सोलिटेड नहीं कर पृथक पृथक निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अपीलांट वाद में वर्णित आराजी का खातेदार है व काबिज काश्त है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट का वाद पूर्ण रूप से डिक्री करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का विवादित आराजी के मामले में कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी वाद आंशिक रूप से डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र इस आधार पर निर्णय पारित किया है कि वाद संख्या 48/2018 अन्तर्गत धारा 251 ए में प्रतिवादीगण को रास्ता प्राप्त हो जाने से आंशिक वाद डिक्री किया है जबकि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 प्रकरण संख्या 48/2018 उनवान उदा बनाम सोहेल के विरूद्ध न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2021 निरस्त फरमाया जावे । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जावे कि प्रकरण संख्या 8/2016 में प्रकरण संख्या 48/2018 कन्सोलिटेड कर एवं विवादित आराजी के समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाकर इन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान करते

टंकणकर्ता
(हस्ताक्षर)
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

(हस्ताक्षर)
डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

हुए पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रकरण का पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए के तहत पेश कर कथन किया कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 2166 रकबा 0.01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2147 की 1 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 2148 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम डग में स्थित है। खसरा नम्बर 2166 में कई वर्षों से चाह खुदा हुआ है, कोई रास्ता मौजूद नहीं है, परन्तु प्रतिवादीगण जबरन वादी के कब्जे काश्त की आराजी में दखलअन्दाजी करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण के लिए अन्य खसरा नम्बर 2165, 2168 व 2167 में होकर पूर्व में रास्ता मौजूद है, जो उन्होंने बन्द कर रखा है। इसलिए अपीलांट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में कोई दखलअन्दाजी नहीं करें और रास्ते के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सुनकर अपीलांट का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह मानकर कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रकरण संख्या 2018/00048 अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत रास्ता कायम होने के उपरान्त प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत मजाहमत नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

2018/00048 में पारित निर्णय की अपील भी न्यायालय में पेश कर दी है जिसमें आज तारीख नियत है। उक्त मामले में दस्तावेज नजरी नक्शा ग्राम डग पर लगे नोट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2166 रकबा 0.01 गैर मु. चाह खातेदारी में दर्ज है, किन्तु नक्शे में इस नम्बर का रकबा लगभग 0.03 बैठता है, इस कारण इसमें से रास्ते का रकबा कम किया जाना संभव नहीं है। केवल मात्र नक्शे में रास्ते को श्रीमान् के आदेशानुसार दर्शाया जा सकता है। यही नक्शा विवाद का कारण है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए प्रकरण संख्या 2018/00048 निर्णय दिनांक 03.02.2021 के विरूद्ध अपीलांट ने पृथक से अपील प्रस्तुत कर दी है परन्तु अपीलांट की आराजी में जब मौके पर रास्ता ही नहीं है तो नक्शे में रास्ता दिखाना कानूनन अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकोर्ड व दस्तावेजों पर गौर नहीं फरमाया। अपीलांट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है, खसरा नम्बर 2166 गैर मु. चाह पर रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार होने के कारण उसके हक में दावा पूर्णरूप से डिक्री किया जाना चाहिए । अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलांट का वाद डिक्री करते हुए रेस्पोडेंट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में नये रास्ते बाबत् कोई दखलअन्दाजी नहीं करें और ना ही कोई लड़ाई-झगड़ा करें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3, 5 ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में अंकित किया कि वादी अपीलांट के खातेदारी की आराजी ग्राम डग में खसरा नम्बर 2166 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2147 की 1 बीघा 8 बिस्वा, तथा खसरा नम्बर 2148 की 1 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। खसरा नम्बर

टंकणकर्ता
कोटा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

2166 में कई वर्षों से चाह खुदा हुआ है, कोई रास्ता मौजूद नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण जबरन वादी के कब्जे काश्त की आराजी में मदाखलत व मजाहमत पैदा करना चाहते हैं, जिनका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण का अन्य खसरा नम्बर में होकर रास्ता मौजूद है। उक्त वाद अपीलांट ने गलत तथ्यों पर किया है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने आंशिक डिक्री किया है। रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3, 5 की आराजी पर गॉव से आने जाने का रास्ता सरकारी रेकार्ड में हमेशा से दर्ज है, इस रास्ते को अपीलांट नं. 2 सोहेल गौरी ने खसरा नम्बर 2166, 2147, 2017 को तार लगाकर बन्द कर दिया, जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के तहत ही सुनवायी कर दिनांक 03.02.2021 को पत्रावली पर आयी साक्ष्य तथा पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों का मनन कर ही कानूनी प्रावधानों के तहत सही निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3, 5 को अपने खेत पर आने जाने के लिए केवल एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 2166, 2147, 2017 पर से ही हमेशा से रहा है, जो रेकार्ड में भी दर्ज है। सैटलमेंट के पूर्व खसरा नम्बर 1984 का हाल खसरा नम्बर 2166 बना है। सैटलमेंट के पूर्व खसरा नम्बर 1984 सरकार के खाते दर्ज था किन्तु सैटलमेंट के बाद अपीलांट ने अपने नाम एलाट करवा लिया जिसका उनको अधिकार नहीं था खसरा नम्बर 1984 रकबा 3 बिस्वा का है जिसमें से 1 बिस्वा एलाट करवाया है तथा उसमें कुआ खुदवाया है उसके बाद भी 2 बिस्वा आराजी और बची है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसी में रास्ता दिलवाया है। सैटलमेंट के पूर्व के नक्शे में रास्ता मौजूद है जो सरकारी रास्ता रहा है तथा सैटलमेंट के बाद के नक्शे में भी रास्ता मौजूद है। अपीलांट ने सैटलमेंट के बाद कर्मचारियों से सांठगांठ कर रास्ते की भूमि भी अपने खाते लगवा ली जिसका उसको कोई अधिकार नहीं था । उक्त सनातनी रास्ते को अपीलांट नं. 2 सोहेल गौरी ने बन्द कर दिया है जिसका उसको कोई

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अधिकार नहीं है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। खसरा नम्बर 2166 की आराजी का अपीलांट नं. 2 खातेदार है। खसरा नम्बर 2166 के गैर मुमकिन चाह है किन्तु खसरा नम्बर 2166 का रकबा 3 बिस्वा है तथा चाह का रकबा 01 बिस्वा ही है। रेस्पोडेंट्स को चाह के बाद 02 बिस्वा बची आराजी जिसमें रेकार्ड में मौजूद रास्ते को खुलासा करवाया है तथा रेस्पोडेंट हमेशा से ही इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिन्दुओं पर गौर कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.02.2021 को यथावत रखा जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर आयी साक्ष्य तथा पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों का मनन कर ही कानूनी प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3, 5 को अपने खेत पर आने जाने के लिए केवल एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 2166, 2147, 2017 पर से ही हमेशा से रहा है, जो रेकार्ड में भी दर्ज है। सैटलमेंट के पूर्व खसरा नम्बर 1984 का हाल खसरा नम्बर 2166 बना है। सैटलमेंट के पूर्व खसरा नम्बर 1984 सरकार के खाते दर्ज था किन्तु सैटलमेंट के बाद अपीलांट ने अपने नाम एलाट करवा लिया जिसका उनको अधिकार नहीं था खसरा नम्बर 1984 रकबा 3 बिस्वा का है जिसमें से 1 बिस्वा एलाट करवाया है तथा उसमें कुआ खुदवाया है उसके बाद भी 2 बिस्वा आराजी और बची है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसी में रास्ता दिलवाया है। सैटलमेंट के पूर्व के नक्शे में रास्ता मौजूद है जो सरकारी रास्ता रहा है तथा सैटलमेंट के बाद के नक्शे में भी रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय ने भू अभिलेख की मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के आधार पर रास्ते बाबत सही निर्णय पारित किया है

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2021 यथावत रखी जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/9/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, को...